भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

30.07.2025 के

तारांकित प्रश्न सं. 148 का उत्तर

रेलवे से संबंधित मुद्दों की निगरानी के लिए तंत्र

***148. श्री के. ई. प्रकाश:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इरोड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित जन-प्रतिनिधि से वहां के लोगों के समक्ष आ रहे रेल सेवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) निर्वाचन क्षेत्र विशेष से संबंधित ऐसे अनुरोधों के समाधान के लिए वर्तमान प्रणाली में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार निर्वाचन क्षेत्र स्तर के रेलवे से संबंधित मुद्दों और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किए गए अनुरोधों की व्यवस्थित निगरानी/अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए किसी पृथक निकाय/बोर्ड/तंत्र की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 30.07.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 148 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): देश भर में यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाओं/सेवाओं के प्रावधान के लिए राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे, मंडल कार्यालय आदि सहित विभिन्न स्तरों पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्तावों/शिकायतों/सुझावों की प्राप्ति एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे अनुरोधों का केंद्रीकृत संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इनकी जाँच की जाती है और समय-समय पर व्यवहार्य और उचित पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

जहां तक ईरोड निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है, ऊपरी सड़क पुल (आरओबी)/निचले सड़क पुल (आरयूबी), रेलवे जलमार्ग पुल, रेलगाड़ियों के ठहराव आदि के प्रावधान के लिए विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

<u>ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल</u>

भारतीय रेल में समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन एक सतत और जारी रहने वाली प्रक्रिया है। रेल परिचालन में संरक्षा व गतिशीलता तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर ऐसे कार्यों की प्राथमिकता तय की जाती है और इन्हें शुरू किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-25 (जून 2025) की अवधि के दौरान, भारतीय रेल में निर्मित ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों की संख्या इस प्रकार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों की संख्या
2004-14	4,148
2014-25 (जून 2025)	13,426 (तमिलनाडु राज्य में 747 सहित)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 1,00,860 करोड़ रुपए की लागत से 4,402 ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें तमिलनाडु

राज्य में 4,669 करोड़ रुपए की लागत से 235 ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

वर्तमान में, ईरोड निर्वाचन क्षेत्र में 13 ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें मांग किए गए समपार स्थानों के लिए स्वीकृत 03 ऊपरी सड़क पुल शामिल हैं।

<u>रेलगाड़ियों की शुरुआत करना/ठहराव प्रदान करना</u>

वर्तमान में, ईरोड लोक सभा क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों, ईरोड, कोडुमुडि, पासुर और ईंगूर को क्रमशः 174 रेलगाड़ी सेवाओं (4 वंदे भारत रेलगाड़ी सेवाओं सहित), 14, 8 और 6 रेलगाड़ी सेवाओं द्वारा सेवित किया जा रहा है। इसके अलावा, रेलगाड़ियों को ठहराव प्रदान करना और रेलगाड़ी सेवाओं की समय-सारणी को युक्तिसंगत बनाना भारतीय रेल में यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता आदि के अध्यधीन एक सतत प्रक्रिया है।

ईरोड को सेवित करने वाली रेलगाड़ियां जिन्हें शुरु किया गया/विस्तार प्रदान किया गया

मद	रेलगाड़ी संख्या और नाम	प्रभावी तिथि
सेवा का आरंभ	18189/90 टाटा नगर-एर्णाकुलम एक्सप्रेस	28.01.2021
सेवा का आरंभ	20643/44 कोयंबटूर-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस	08.04.2023
सेवा का आरंभ	20641/42 कोयंबटूर - बेंगलुरु कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस	30.12.2023
सेवा का आरंभ	17421/22 तिरूपति-कोल्लम एक्सप्रेस	15.03.2024
विस्तार	16845/46 ईरोड-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस का सेनगोट्टई तक विस्तार	24.01.2024

जिन रेलगाड़ी सेवाओं का कोडुमुडी में ठहराव प्रदान किया गया

मद	रेलगाड़ी संख्या और नाम	प्रभावी तिथि
ठहराव	16188 एर्णाकुलम - कराईकल एक्सप्रेस	18.07.2023
ठहराव	16235 तूतीकोरिन - मैसूर एक्सप्रेस	19.07.2023

अवसंरचना का प्रावधान

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्रों, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकतानुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह का कार्य और प्लेटफॉर्म पर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी स्टेशन संबंधी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल हैं।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध रूप से एवं यथा व्यवहार्य स्टेशन भवन में सुधार, शहर के दोनों भागों के साथ स्टेशन का एकीकरण, यातायात के विविध साधनों के साथ एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि तथा दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत, अब तक, ईरोड जंक्शन स्टेशन सहित तमिलनाडु राज्य के 77 स्टेशनों सहित 1,337 स्टेशनों को विकसित किए जाने के लिए चिह्नित किया गया है। तमिलनाडु राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य अच्छी गति से शुरू किए गए हैं। अब तक, इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में 09 स्टेशनों (चिदंबरम, कुलित्तुरै, मन्नारगुडी, पोलूर, सामलपट्टी, श्रीरंगम, सेंट थॉमस माउंट, तिरुवण्णामलै, वृद्धाचलम जंक्शन) के चरण-I का कार्य पूरा हो चुका है।

ईरोड जंक्शन स्टेशन पर, परिचलन क्षेत्र में सुधार, पार्किंग क्षेत्र में सुधार और नए वाणिज्यिक भवन के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। प्लेटफार्मों में सुधार, नए प्लेटफार्म शेल्टर, 12 मीटर ऊपरी पैदल पुल, लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों का कार्य शुरू कर दिया गया है।

भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/उन्नयन एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य आवश्यकतानुसार, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, शुरू किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास/उन्नयन के लिए निर्माण कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन के समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

<u>दक्षिण रेलवे/ईरोड में विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन</u>

तमिलनाडु में रेल परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 22,808 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 1,700 किलोमीटर लंबाई की 15 परियोजनाएं (9 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 03 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 665 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2025 तक 7,591 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसका सार निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	9	812	24	1,337
आमान परिवर्तन	3	748	604	3,471
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	3	140	37	2,783
कुल	15	1700	665	7,591

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹879 करोड़ प्रति वर्ष
2025-26	₹6,626 करोड़ (7.5 गुना से अधिक)

ईरोड की संपर्कता को और बेहतर बनाने के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु निम्नलिखित सर्वेक्षण स्वीकृत किए गए हैं: -

i. जोलारपेट्टई - ईरोड - कोयम्बटूर तीसरी और चौथी लाइन (282 किलोमीटर)
ii. ईरोड - करूर दोहरीकरण (67 किलोमीटर)

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद, परियोजना की स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और आवश्यक अनुमोदन जैसे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से मूल्यांकन भी अपेक्षित होते हैं। चूंकि परियोजनाओं को स्वीकृति देना एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए निश्चित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुकी हुई हैं। तमिलनाडु में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार हैः-

तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए कुल अपेक्षित भूमि	4315 हैक्टेयर
अधिगृहीत की गई भूमि	1038 हैक्टेयर (24%)
अधिगृहीत किए जाने हेतु शेष भूमि	3277 हैक्टेयर (76%)

भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित हुई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हैक्टेयर में)	अधिगृहीत की गई भूमि (हैक्टेयर में)	अधिगृहीत किए जाने हेतु शेष भूमि (हैक्टेयर में)
1.	तिंडीवनम-तिरुवण्णामलै नई लाइन (71 किलोमीटर)	273	33	240
2.	अतिपट्टू - पुत्तुर नई लाइन (88 किलोमीटर)	189	0	189

3.	मोरप्पुर - धर्मपुरी (36 किलोमीटर)	93	42	51
4.	मन्नारगुडी-पट्टुकोट्टई (41 किलोमीटर)	196	0	196
5.	तंजावूर-पट्टुकोट्टई (52 किलोमीटर)	152	0	152

भारत सरकार परियोजनाओं के निष्पादन के लिए तैयार है, तथापि इनकी सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

रेल परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजनाओं के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, परियोजना कार्य स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं के पूरा होने के समय व लागत को प्रभावित करते हैं।

*****